

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)प्रार्थना पत्र सं०-534 / 2025रामलाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में शपथ-पत्र।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के समक्ष प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 534/2025 में श्रीमान तहसीलदार सदर देवरिया के कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या 504 (1-III) /R0का० -2025-2026 दिनांक 07.01.2026 के अनुपालन के क्रम में राजस्व टीम के साथ पुलिस टीम की उपस्थिति में कार्यवाही करते हुये निम्नवत शपथ पत्र प्रस्तुत है।

- 1- यह कि ग्राम-फुलेहरा, तप्पा-नगवा, परगना-शाहजहाँपुर, तहसील-देवरिया सदर, जनपद-देवरिया में स्थित गाटा संख्या-196, रकवा-0.401हे० जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम से अंकित है। जैसा कि खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 फ० के खाता संख्या-166 की छायाप्रति, **संलग्नक-1** से स्पष्ट है।
- 2- यह कि याची द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जे का कथन करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 3- यह कि उक्त के क्रम में तहसीलदार देवरिया सदर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-504 / R0का०-2025-26, दिनांक 07.01.2026 द्वारा नायब तहसीलदार को उक्त गाटे के सम्बन्ध में स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जैसा कि कार्यालय तहसीलदार देवरिया सदर, जनपद-देवरिया के पत्र दिनांक 07.01.2026 की छायाप्रति **संलग्नक-2** से स्पष्ट है।
- 4- यह कि नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2026 को राजस्व टीम द्वारा ग्रामीण जनता की उपस्थिति में मौके का स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित जाँच आख्या दिनांक 03.02.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या-196 (पोखरी), रकवा-0.401हे० पर ग्राम के कुल 12 व्यक्तियों का अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिनमें से सभी अतिचारियों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया एवं न्यायालय तहसीलदार, देवरिया के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद पूर्व में संस्थित किया जा चुका है। उक्त बेदखली वादो की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:-

क्रमांक	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	वाद संख्या	वादी/प्रतिवादी	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	पोखरी	196	T202205200108950	गांव सभा बनाम प्रेमसागर	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अतिचारी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। वर्तमान में अतिचारी द्वारा उक्त बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरुद्ध कायमी का वाद T202405200126887 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।


2	पोखरी	196	T202205200108955	गांव सभा बनाम अनिरुद्ध	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया के समक्ष क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।
3	पोखरी	196	T202205200108956	गांव सभा बनाम नथुनी	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया के समक्ष क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।
4	पोखरी	196	T202205200108953	गांव सभा बनाम अमित	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 09.09.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
5	पोखरी	196	T202205200108954	गांव सभा बनाम नारदमुनि	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 09.09.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
6	पोखरी	196	T202205200108957	गांव सभा बनाम प्रदुम्न	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 09.09.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
7	पोखरी	196	T202205200108958	गांव सभा बनाम शम्भू	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 09.09.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
8	पोखरी	196	T202305200104215	गांव सभा बनाम निजामुद्दीन	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 17.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
9	पोखरी	196	T202305200104216	गांव सभा बनाम फिरोज	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।

10	पोखरी	196	T202305200104217	गांव सभा बनाम कामेश्वर	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
11	पोखरी	196	T202305200104218	गांव सभा बनाम बूटन	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
12	पोखरी	196	T202305200104219	गांव सभा बनाम सुरेश	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरुद्ध दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।

सुलभ अवलोकन हेतु नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित आख्या दिनांक 03.02.2026 एवं नोटिस दिनांक 02.02.2026 एवं नोटिस दिनांक 02.02.2026 की छायाप्रति **संलग्नक-03** के रूप में प्रस्तुत है।

- 5- यह कि उपरोक्त प्रकरण में 03 अतिक्रमणियों के विरुद्ध बेदखली का वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए शीघ्र आदेश पारित कर दिया जायेगा।
- 6- यह कि उपरोक्त प्रकरण में शेष 09 अतिक्रमणियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का आदेश पारित करते हुए उन्हें अन्तिम रूप से अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु नोटिस प्रदान किया गया है। नोटिस के माध्यम से प्रदान किये गये समय-सीमा के उपरान्त स्थल से बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 7- यह कि हम प्रतिपक्षी प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक बिना शर्त क्षमा याचना करता है तथा माननीय प्राधिकरण के समक्ष दया भाव की आशा रखता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत शपथ पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र उपरोक्त की कार्यवाही इस स्तर पर ही समाप्त करने की कृपा करे।


06-02-26

थानाध्यक्ष

थाना-रामपुर कारखाना

जनपद-देवरिया



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 189999202602147

ग्राम क्रमांक : 189999 ग्राम का नाम (परामा) : खतौरी तथा नारावा (खतौरी) तहसील : देवरिया जनपद : देवरिया फसली वर्ष : 1429-1431 (0) जुलाई 2021 से 30 जून, 2022 भाग : 1 (1) खता संख्या : 001 66

धर्म : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमय भूमि ।

खतौरी का विवरण		खतौरी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खतौरी का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूरीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खतौरी द्वारा देय भू-राजस्व
196	1) फौजरी / 0000000 / नि. ग्राम			19641899990196000061	0.4010	19/1/1	19/0.4010	10.00
कुल गाटा 1 कुल क्षेत्रफल 0.4010 (हे.रे.पं.) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.4010) (हे.रे.पं.)		खारिज किया गया		दुर्लभ किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / खिलदल हस्ताक्षर नाम / खिलदल हस्ताक्षर दिनांक		(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक गाटे का खसरा नम्बर का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) क्षेत्रफल (हे.)	(13) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(14) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
			19641899990196000061		19641899990196000061			

(17) भूमि के सन्दर्भ में विवादाधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) वर्षक/वर्षक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वर्षक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वर्षक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खतौरीदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Baroda U P Bank / 17798 / 09-12-2025 / 163440.00 / 190009592025006517798 / रावड़ी देवी (उपरी प्रसाद)

(18.2) वर्षक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वर्षक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खतौरीदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अप्रयुक्ति :

पट्ट आदेशों का विवरण

Dha Prabhukh Special Pradhan Tirthah/REGISTRAR KANONCOI

रिजिस्ट्रार कार्यालय, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

यह उत्तर खतौनी संदर्भित दिखाने के लिए तैयार किया गया है।

मुद्रित बर्द : CANON PRADAKSHAN SANGRAHALAYA, देवरिया
 मुद्रित दिनांक एवं समय : 07-07-2023 09:12:09
 New Application for Online Patta प्रयोग करने का इच्छुक होने पर
 http://upbhulekh.gov.in या Windows पर खतौरी अथवा QR Code स्कैन करके भी जाना सकता है



कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरीत अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या-534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व 15 अन्य के क्रम में ग्राम-फुलेहरा, तप्पा-नगवा, परगना-शाहजहाँपुर, तहसील-देवरिया सदर, जनपद-देवरिया में गाटा संख्या-196, रकवा-0.401हे० जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम अंकित है, पर अवैध अतिक्रमण की जाँच हेतु नायब तहसीलदार बखरा की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया जाता है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	श्री गंगा राम	नायब तहसीलदार
2	श्री दिग्विजय नाथ मिश्र	राजस्व निरीक्षक
3	श्री सत्यप्रकाश सिंह	क्षेत्रीय लेखपाल
4	श्री एहतेशाम आलम	लेखपाल
5	श्री सचिन कुमार शर्मा	लेखपाल
6	श्री दिवाकर झां	लेखपाल
7	श्री विजेन्द्र प्रसाद	लेखपाल
8	श्री राजीव कुमार	लेखपाल

उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे मौके पर उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन कराना सुनिश्चित करे।


तहसीलदार

o/c देवरिया सदर

कार्यालय तहसीलदार देवरिया सदर, जनपद-देवरिया।

पत्रांक 5040-111/र०का०-2025-26

दिनांक ०७ जनवरी, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- उपजिलाधिकारी महोदया देवरिया सदर।
- 2- थानाध्यक्ष महुआडीह को इस निर्देश के साथ कि राजस्व टीम द्वारा किये जा रहे कार्य के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मय महिला पुलिस सहित मौके पर स्वयं उपस्थित रहकर कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करे।
- 3- सम्बन्धित कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।


तहसीलदार

o/c देवरिया सदर।

महोदय,
 ग्राम फुलेहरा तप्पा नगवा परगना ब्राह्मसंपुर तहसील व जिला
 देवरिया स्थित आराजी सै. 196 रकबा 0.401 हे. जो राजस्व
 अभिलेख में पोखरी के नाम से दर्ज है के बावजूद माननीय
 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGR) के समक्ष प्रस्तुत
 प्राचीन पत्र सै. 534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ०प्र०
 राज्य व 15 अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
 द्वारा वांछित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु
 निर्देशित किया गया है उक्त के क्रम में स्थल की
 वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु सीमांकन की
 कार्यवाही हेतु राजस्व रीम नायब तहसीलदार बखरा की
 अध्यक्षता में निर्धारित की गयी, राजस्व रीम नियत
 दिशि पर उपरोक्त ग्राम में उपस्थित होकर विवाहित
 गाँव का सीमांकन नियमानुसार किया गया। सीमांकन
 आरण्या निम्नवत है।

अवगत है कि गारा सै. 196 रकबा 0.401 हे०
 पोखरी के नाम से भू-अभिलेख में अंकित है तथा
 ग्राम फुलेहरा के आबादी से सेटे स्थित है अतः
 उक्त आराजी का सीमांकन स्थायी बिन्दुओं से
 किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि आराजी सै. 196
 रकबा 0.401 हे० पर निम्न लिखित ग्रामीणों का कब्जा
 पाया गया जिनके विकट पूर्व में बेदखली हेतु
 धारा 67 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत
 कार्यवाही की गयी जो निम्न लिखित है-

क्र.सं०	कब्जेदार का नाम	पिता/पति का नाम	कब्जे का रकबा	कब्जे का प्रकार	कार्यवाही	अन्य विवरण
1.	प्रेमसागर	उदयभान	0.016 हे०	पक्का मकान	वाद सं० 8950/2022	कायमी 26.8.2024 दिनांक 24-12-2024
2.	अमित	रामगुपी	0.008 हे०	पक्का मकान	8953/2022	बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022
3.	नारदगुनी	चनर	0.020 हे०	पक्का मकान	8954/2022	बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022

03-02-2024

4.	अनिरुद्ध	चनर	0.016 हे०	पक्का मकान	8955/2022	विचाराधीन मिपत विधि 10.02.2024
5.	नथुनी	रामकिशुन	0.016 हे०	पक्का मकान	8956/2022	विचाराधीन
6.	प्रदुमन	रामान्ना	0.012 हे०	पक्का मकान	8957/2022	बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022
7.	शम्भू	रामअयोध्या	0.006 हे०	पक्का स्थान युक्त करेत	8958/2022	बेदखली आदेश दिनांक 13.12.2024
8.	निजामुद्दीन	मोहर अली	0.006 हे०	पक्का मकान	4215/2023	बेदखली आदेश दिनांक 17.11.2023
9.	फिरोज	रहमत अली	0.004 हे०	पक्का मकान	4216/2023	बेदखली आदेश दिनांक 16.11.2023
10.	कामेश्वर	बंधन	0.004 हे०	पक्का मकान	4217/2023	बेदखली आदेश दिनांक 16.11.2023
11.	बुटन	बंधन	0.004 हे०	पक्का मकान	4218/2023	बेदखली आदेश दिनांक 16.11.2023
12.	सुरेश	बंधन	0.016 हे०	पक्का मकान	4219/2023	बेदखली आदेश दिनांक 17.11.2023

उपरोक्त विवरण में क्रम संख्या 4 व 5 क्रमशः अनिरुद्ध पुत्र चनर व नथुनी पुत्र रामकिशुन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है व क्रम संख्या 1 प्रेमसागर पुत्र उदयभान का बेदखली आदेश के विरुद्ध कायमी वाद सं० - T 202405200/26687 न्यायालय में विचाराधीन है। क्रम सं० 2 अमित पुत्र रामगुदी, क्रम सं० 3 नारदमुनि पुत्र चनर, क्रम सं० 6 प्रदुमन पुत्र रामान्ना, क्रम सं० 7 शम्भू पुत्र रामअयोध्या, क्रम सं० 8 निजामुद्दीन पुत्र मोहर अली, क्रम सं० 9 फिरोज पुत्र रहमत अली,

103-02-2024

क्रम सं० १० कामेश्वर पुत्र बंधन, क्रम सं० ११ बुरन पुत्र बंधन व क्रम सं० १२ सुरेश पुत्र बंधन का बेदखली आदेश न्यायालय से पारित है परन्तु उपरोक्त कब्जेदार का एक मात्र मकान है जिसमें वर्तमान समय तक निवास करते हैं।

उक्त के क्रम में जिन कब्जेदारों का बेदखली आदेश न्यायालय से पारित है उनके अतिरिक्त भूमि से अधिकतम १५ दिवस में कब्जा हथियाने के लिए नोटिस दिया गया है जो निम्नवत हैं - अमित पुत्र रामगुदी, नारदमुनी पुत्र चनर, प्रदुमन पुत्र रामाना, शम्भु पुत्र रामअधोदया, निजामुदीन पुत्र मोहूर अली, फिरोज पुत्र रहमत अली, कामेश्वर पुत्र बंधन, बुरन पुत्र बंधन व सुरेश पुत्र बंधन। शासनादेश सं०-

५९१/एक-२-२०१७-१ (सामान्य) / २०१७ दिनांक १६.०५.२०१७ में वर्णित व्यवस्था में सर्वजनिक भूमि ए अदथालिस अनुसूचित जाति / जनजाति के गरीब व भूमिहीन व असहाय व्यक्तियों के आवास के व्यवस्था बिन्दु होने के उपरांत उनके बेदखल होने से कार्यवाही किए जाने का शासनादेश वर्णित है।

अतः आरव्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सेवा में प्रेषित है।
 दिनांक ०३-०२-२०२६

अद्योक्त, गात्र- कुलेन्द्रा लष्ठा - नावा, परागा- अहजहाँ पुट, रहमील व जिला- देवीगात्र से रिश्त जोरकरी वनी आराजी शरणा १९६२ का ०५०० के आदेशों आरा पर अर्द्ध कावजा काट फजला अकाग काट लिये, विरहू दया ६७ वनी कावकी वनी रहि है, जिसमें ग्राम संख्या ०५ व ०५ का काट न्यायालय से विचारधीन है इस क्रम शरणा ०१ का आदेश के विरहू कावगी विचारधीन है तथा शेष कावगी अतिरिक्तियों के विरहू बेदखली का आदेश दिनांक १६-११-२०२३ का पारित हो चुका है, जिसका उलाही काटो हेतु अतिरिक्तियों का नोटिस दिया गया है।

अस्तु आरव्या भारत सेवा में प्रेषित है।

महोदय, शरणा की कावगी सेवा में सापेक्षित
 दिनांक ०३-०२-२०२६
 R.P.B.O.
 दिनांक ०३/०२/२६
 N-71

नोटिस

श्री.....अमित पुत्र रामगुदी
 निवासी ग्राम.....फुलेडा
 तप्पा.....नगवा
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुलेडा
 तप्पा.....नगवा.....में स्थित.....पोखरी.....की आराजी संख्या.....१९
 रकवा.....०.००६ हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....०१.०१.२०२२.....को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....१५.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

02.02.2026

नोटिस

श्री.....नारद मुनी पुत्र.....चनर
 निवासी ग्राम.....फुकेडा.....
 तप्पा.....न.प.व......
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुकेडा.....
 तप्पा.....न.प.व......में स्थित.....प्लॉट.....की आराजी संख्या.....196.....
 रकवा.....0.02.0.....हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....09.09.2022.....को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....15.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नारद मुनी

लेखपाल/रा0नि0

Signature
 02.02.2024

नोटिस

श्री.....प्रदुमन पुत्र वामना.....
 निवासी ग्राम.....फुलेहरा.....
 तप्पा.....नगवा.....
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुलेहरा.....
 तप्पा.....नगवा.....में स्थित.....पेखरी.....की आराजी संख्या.....१९.....
 रकवा.....०:०:१२.....हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....०९.०९.२०२०.....को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....१५.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससभ्य तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02.02.2026

पुत्री विषयलक्ष्मी

नोटिस

श्री शाम्भू पुत्र राम प्रियो द्या
 निवासी ग्राम कुमरवा
 तप्पा नगवा
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम कुमरवा
 तप्पा नगवा में स्थित पेखरी की आराजी संख्या 196
 रकवा 0:00:0 हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

लेखपाल/रा०नि०

2-8
 02-02-2026

पत्नी

माया

नोटिस

श्री.....विजयकुमार पुत्र मोहर अमी.....
 निवासी ग्राम.....पुलगा.....
 तप्पा.....नारा.....
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....पुलगा.....
 तप्पा.....नारा.....में स्थित.....पुलगा.....की आराजी संख्या.....196.....
 रकवा.....0.006.....हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....17.11.2022.....को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....15.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

पुत्र पुनिव अमी

लेखपाल/रा0नि0

Signature
 02-02-2026

नोटिस

श्री फ़िरोज पुत्र रश्मि अली
 निवासी ग्राम पुके.२१
 तप्पा नगवा
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम पुके.२१
 तप्पा नगवा में स्थित पुके.२१ की आराजी संख्या १९६
 रकवा ०:००५ हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक १६:११:२०२३ को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम १५ दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02-02-2026

नोटिस

श्री.....कामेश्वर पुत्र वैद्य.....
 निवासी ग्राम.....फुलेडा.....
 तप्पा.....नगला.....
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुलेडा.....
 तप्पा.....नगला.....में स्थित.....पोखरी.....की आराजी संख्या.....196.....
 रकवा.....0:004.हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....16.11.2023को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....15.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा0नि0

Prishu
02-02-2026

नोटिस

श्री.....बुटन पुत्र बंधन
 निवासी ग्राम.....फुलिया
 तप्पा.....न.श.ली
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुलिया
 तप्पा.....न.श.ली.....में स्थित.....प्लाज्मा.....की आराजी संख्या.....196
 रकवा.....0.004 हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....15.11.2026को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....15.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02-02-2026

नोटिस

श्री.....सुरेश पुत्र बैधन.....
 निवासी ग्राम.....फुलडा.....
 तप्पा.....नवावा.....
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.....फुलडा.....
 तप्पा.....नवावा.....में स्थित.....पोखरी.....की आराजी संख्या.....176.....
 रकवा.....०.०.१.०.....हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....17.11.2022को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम.....15.....दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
02-02-2024